आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, श्रीमती सीमा सिंह, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर० वाद सं०-86/10-11

कुमारी मेरी कुजूर, पिता–स्व० मसीह कुजूर,
निवास ग्राम–काँके सेमर टोली, थाना–काँके,
जिला राँची ... प्रथम पक्ष

बनाम

इमिल मिंज, पिता–स्व० पौलुस मिंज,
निवास ग्राम–काँके सेमर टोली, थाना–
काँके, जिला–राँची ..... द्वितीय पक्ष

आदेश

11.09.21

प्रथम पक्ष कुमारी मेरी कुजूर, पिता–स्व० मसीह कुजूर, निवास ग्राम–काँके सेमर टोली, थाना–काँके, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष इमिल मिंज, पिता–स्व० पौलुस मिंज, निवास ग्राम–काँके सेमर टोली, थाना–काँके, जिला राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
काँके	156	100	392	07 डी०

प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान मे सिखर मुण्डा वगैरह के नाम दर्ज है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्ष ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्ष को बेदखल कर दिया है।

कृ०पृ०उल्टे

आवेदिका की माँ ने उक्त भूमि को खतियानी के वंशज से बिक्री द्वारा प्राप्त किया है और आवेदिका को गिफ्ट के रूप में उक्त भूमि को समर्पित किया था।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

द्वितीय पक्ष ने अपने जवाब में कहा है कि उक्त भूमि को आवेदिका की माता मसोमात आशा कुजूर जौजे मसीह कुजूर ने दिनांक–10.10.66 ई को विपक्षी के पिता श्री इगनेस मिंज वल्द मसीह चरन मिंज ने छप्परबंदी बिक्रीनामा के माध्यम से हस्तान्तरण कर दिया था। तब विपक्षी शांति पूर्वक दखलकार चले आ रहें है। खतियान में खेटा मुण्डा,पंचम मुण्डा एवं बच्चन मुण्डा के नाम से दर्ज है। आवेदिका की माता आशा कुजूर ने उक्त भूमि की खरीदगी की थी। आशा कुजूर की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि पर आवेदिका मेरी कुजूर के हिस्से में प्राप्त हुआ। लेकिन विपक्षी 1985 से छोटानागपूर कास्तकारी अधिनियम का उल्लंधन कर और बिना परमिशन का दखल कर लिया है जबकि आवेदक के पिता द्वारा सन 1966 में खरीदगी के बाद से मकान बनाकर निवास अपने परिवार एवं बच्चों के साथ करते है। यह वाद कालबाधित और चलने योग्य नहीं है। क्योंकि लगभग 44 वर्षो बाद यह वापसी का मुकदमा किया गया है। जबकि आवेदिका की मृत्यु निःसंतान हो गयी है। इनका कोई वारिस नहीं रहा। आवेदिका की मृत्यु के पश्चात केस लंबित है।

अंचल अधिकारी, कांके के पत्रांक 939(ii) दिनांक 28.9.2018 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में राम मुण्डा, महली मुण्डा पे० महादेव मुण्डा के नाम से कायमी दर्ज है। राजस्व पंजी II के अनुसार उक्त भूमि की जमाबंदी कुमारी मेरी कुजूर पिता मसीह कुजूर के नाम से दा०खा०वाद सं० 745R27/1978 के द्वारा कायम है। मोसमात आशा कुजूर पति मसीह कुजूर ने दिनांक 04.04.1972 को एग्नेस मिंज को सौंप दिया। कुमारी मेरी कुजूर की मृत्यु 13.02.12 को हुई। वर्तमान समय पर उक्त भूमि पर इमेल मिंज दखलकार है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन के के हस्तांतरण में छो॰ का॰ अधि॰ के धारा 46(a) का उल्लंघन प्रतीत होता है। अतः उक्त भूमि पर 71"A" के भू–वापसी लागू होता है। लेकिन आवेदिका अविवाहित होने के कारण उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा चले आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वे अपने दावे के संबंध में सक्षम न्यायालय जा सकते है। यह वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

11/09/24
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

11/09/24
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.07 17:20:48 +05:30
Location: 192.168.51.39